(187)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

4/विविध/नरसिंहपुर/भूप्र/2017/3334

विविध प्र0क0 2017

पुन्नू लाल ठाकुर (गोंड)
आत्मज आशाराम ठाकुर
निवासी ग्राम कोरेगांव, तहसील गोटेगांव,
जिला नरसिंहपुर म.प्र. ——— आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन
द्वारा कलेक्टर, नरसिंहपुर म0प्र0 ——— अनावेदक

विविध आवेदन अंतर्गत धारा 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 इस न्यायालय द्वारा प्र0क0 निग0 07–एक/17 में पारित आदेश दिनाक 03.1.17 में हुई टंकण की त्रुटि को सुधारने हेतु)

18/9/17 मान्यवर,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि –

यहकि, इस न्यायालय द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रकरण कमांक निगरानी 07–एक/2017 में दिनांक 24–6–16 को आदेश पारित करते हुए आवेदकों को शर्तो के साथ भूमि विकय की अनुमति प्रदान की गई है ।

2– यहकि, उक्त आदेश के पृष्ठ 2 की 14 वीं एवं पृष्ठ 4 की तीसरी लाइन में खसरा नंबर 37/8 टाइप हो गया हे, जबकि सही खसरा नंबर 37/3 है ।

3– यहकि, आवेदक भूमि खसरा नं. 37/3 रकबा 0.395 हैक्टर का ही भूमिस्वामी है यही भूमि आवेदक ने पंजीकृत विकयपत्रदिनांक 17–11–15 द्वारा कय की गई थी ।

XXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – एक / विविध / नरसिंहपुर / भू.रा.सं. / 2017 / 3334 जिला – नरसिंहपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18–9–17	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी एवं अनावेदक शासन की ओर से पैनल अधिवक्ता श्री अनिल श्रीवास्तव उपस्थित । उभयपक्षों को आवेदक द्वारा संहिता की धारा 32 के तहत प्रस्तुत आवेदन पर सुना गया । आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि इस न्यायालय द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रकरण कमांक 07–एक / 17 में पारित आदेश 3–1–17 के पृष्ठ 2 की 14 वीं लाइन एवं पृष्ठ 4 की तीसरी लाइन में टंकण की त्रुटिवश सर्वे नंबर 37 / 8 टाइप हो गया है । टंकण की उक्त त्रुटि आवेदक द्वारा मूल निगरानी में त्रुटिवश सर्वे नंबर 37 / 8 टंकित हो जाने से उक्त त्रुटि हुई है जबकि सही सर्वे नंबर 37 / 3 है । इस संबंध में उनके द्वारा राजस्व अभिलेख खसरा की प्रमाणित प्रति पेश करते हुए उक्त त्रुटि को सुधारे जाने के आदेश दिए जाने का निवेदन किया गया । आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताई गई उक्त त्रुटि की पुष्टि उनके द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों खसरा इत्यादि से होती है । अतः न्यायहित में यह निर्देश दिए जाते हैं कि इस न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण कमांक 07–एक / 17 में पारित आदेश दिनांक 03–1–17 के पृष्ठ 2 की 14 वीं लाइन एवं पृष्ठ 4 की तीसरी लाइन में सर्वे नंबर 37 / 8 के स्थान पर सर्वे नंबर 37 / 3 पढ़ा जाये । यह आदेश मूल आदेश का अंग माना जायेगा । उक्त निर्देश के साथ यह प्रकरण समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	18/9/17